

फ्रस्ट इंडिया के स्टिंग के बाद भी नहीं सुधरे हालात!!!

स्टिंग पार्ट:- 2!!!



स्टिंग के बावजूद,

रात 8 बजे बाद ओवररेट पर बिकती रही शराब!!!

आबकारी का जवाब,

नहीं बिक रही रात 8 बजे बाद शराब!!!रेड गश्त जारी!!!

STING OPERATION

LIQUOR SHOPS OVERCHARGE, FLOUT NORMS; NO ACTION

In a total of 404 shops approved by excise dept, but rules are scarcely followed

Nirmal Tiwari

Jaipur: In two back-to-back sting operations conducted by First India last week, it has been exposed that right under the nose of excise inspectors, liquor is now available in state capital round the clock.

According to rules of the excise department, liquor shops can be open only from 10 am to 8 pm. Besides, the name of the licensee, the rate of liquor available, POS machine, CCTV camera and the name of the district excise officer concerned, and his mobile number should be mentioned on these shops.

Not only this, all the salesmen working in shop should also have approved servant permit from excise department. There should not be any kind of tempting advertisement on shop, size of shop and size of hoarding on it should also be approved by department. Also, this liquor shop should not be within 200 mtrs of any religious place, school, college, hospital, scheduled caste



People thronged liquor shops in hordes despite strict rules that shops should shut down post 8.00 pm. Some shutters were half opened, some sold it openly.

tribe settlement and labour colony.

However, in a total of 404 shops approved by excise dept, these rules are scarcely followed.

In second sting operation conducted by First India team on May 27, situation turned out to be screaming. We found not just serious negligence or collusion of excise officials but dark truth of fearless liquor traders also came to the fore.



Liquor is now available 24 hrs in capital and arbitrary rates are being collected. What is worse is fact that excise inspectors have turned a blind eye.

Team of First India first reached shop of licensee Pankaj Saini in Gandhi Path Vaishali after 8:00 pm on May 27 and saw liquor was being sold openly here.

Team bought a bottle of Tuborg Classic beer from here, whose printed rate is Rs 155,

while licensee charged Rs 200, that too after 8.45 pm. A video of beer being sold after 8 pm & online payment receipt are available as evidence.

After this, at shop of Sahil Arora located at Karni Palace 200 Feet Road, Tuborg Strong Beer was sold at 8:52 pm for Rs 160 instead of Rs 145. Later, at shop of licensee Lokesh Chopra on Amrapali Marg, at 8.58 pm, Officer's

LIQUOR EASILY AVAILABLE IN THE CITY

Liquor was freely available at shop of licensee Lokesh Chopra near Chaudhary Dhaba on Khatipura Road. At 9.12 pm, Tuborg Strong Bear was given for Rs 160 instead of Rs 145. At 9.25 pm at Deepak Sharma's shop at Boring Square, Kalwar Road, Tuborg Classic Beer was given at Rs 190 instead of Rs 145. Team later reached Kanta Kalvad Road & saw liquor shop of licensee Ramnarayan Sharma was open at 9.50 pm. Here, team bought Tuborg Strong Beer worth Rs 145 for Rs 170. The same story continued at many other liquor shops.

Choice quarter bottle worth Rs 105 was sold for Rs 120.

At shop of licensee Someshwar Singh in Big Bazaar Vaishalinagar at 9.04 pm, Tuborg Strong Beer was given at Rs 170 instead of Rs 145. On Tirupati Nagar Kalvad Road, licensee Amandeep's shop was found open at 10.06 pm.

First India has broadcast video with online payment receipts at time of purchase.

फ़र्स्ट इंडिया के स्टिंग में सामने आया कि कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से रात 8 बजे बाद शराब ठेको पर जम कर बिक रही ओवर रेट पर शराब!!!

फ़र्स्ट इंडिया न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत और बेखौफ शराब कारोबारियों का एक काला सच सामने आया था। अपने स्टिंग ऑपरेशन में न्यूज़ चैनल द्वारा पूरे जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में 10 शराब लाईसेंसियों के यहाँ पड़ताल की, इन सभी जगहों पर एक जैसे ही हालात देखने को मिले। सभी जगहों पर रात 8 बजे बाद सेल्समेन ओवररेट पर बंद शटर के पीछे से शराब बेचते दिखे।



फ़र्स्ट इंडिया के स्टिंग के बाद भी नहीं सुधरे हालात!!! स्टिंग के बावजूद, रात 8 बजे बाद ओवररेट पर बिक रही शराब!!!!

आपको बता दें कि फ़र्स्ट इंडिया न्यूज़ ने अपने पहले स्टिंग में शहर भर की 10 शराब की दुकानों पर स्टिंग ऑपरेशन कर, आबकारी विभाग को रात 8 बजे बाद ओवर रेट पर शराब बेचने के पुख्ता सबूत भी प्रस्तुत किए थे। लेकिन स्टिंग के बावजूद आबकारी अधिकारियों की शह और मिलीभगत के चलते, अगले दिन ही शहर के शराब कारोबारी रात 8 बजे बाद पुनः ओवर रेट पर शराब बेचते दिखे।



आबकारी का जवाब, नहीं बिक रही रात 8 बजे बाद शराब!!! रेड गश्त जारी!!!

फ़र्स्ट इंडिया के स्टिंग के बाद चेतने की बजाय आबकारी विभाग गोल मोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। यून तो जयपुर शहर में आबकारी के 7 वृत्त हैं लेकिन इस मामले में शिकायत होने पर आबकारी विभाग द्वारा उस वृत्त के सीआई से रिपोर्ट लेकर इतिश्री कर ली गयी, जिस वृत्त में फ़र्स्ट इंडिया ने अपना स्टिंग नहीं किया था। बाकी 6 वृत्तों में क्या कार्यवाही की गयी इसका खुलासा विभाग द्वारा नहीं किया गया। अपने जवाब में जयपुर पश्चिम के वृत्त निरीक्षक अब्दुल जावेद द्वारा बताया गया कि उनकी जांच में रात 8 बजे बाद किसी भी मदिरा दुकान से मदिरा बेचान नहीं पाया गया। रेड गश्त निरंतर जारी है। जबकि जिस दिन निरीक्षक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, उसी दिन 30/05/2022 को न्यूज़ चैनल ने वृत्त निरीक्षक अब्दुल जावेद के दावों की पोल खोलते हुए, उनके वृत्त की 5 दुकानों के स्टिंग का प्रसारण कर उनके दावों की पोल खोल दी।

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त पश्चिम, जयपुर शहर

क्रमांक :- 186

दिनांक :- 30/05/2022

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषय :- राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत संख्या 052202712721840
की जांच रिपोर्ट भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगत राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत के क्रम में निवेदन है कि आबकारी वृत्त में स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकानात की रात्रि 8 बजे बाद जांच की गई। किसी भी मदिरा दुकान से मदिरा बेचान नहीं पाया गया। रेड गश्त निरंतर जारी है। अगर किसी मदिरा दुकानात से रात्रि 8.00 बजे बाद मदिरा का बेचान पाया जाएगा तो नियमानुसार अभियोग दर्ज किया जाएगा। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय


कार्यालय आबकारी निरीक्षक
वृत्त पश्चिम, जयपुर शहर



जवाब दो!!!
सरकार
www.jawabdosarkar.com

रक्षा के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

दुपचा एवं अनामन बेचान, साठ बरकार इलाक़ा
दुपचा बेचान, अनामन बेचान, साठ बरकार इलाक़ा, 2021 के तिसर 18 के वृत्त पश्चिम पश्चिम

पत्रिका संख्या - 2022/patr-08 E-Newsletter, Issued in Public Interest जयपुर, 27 मई 2022

आबकारी में इस्पेक्टर राज!!!
रात 8 बजे बाद जम कर, बिक रही ओवर रेड पर शराब!!!
ओवर लाइट!!!
ओवर रेड!!!
फ़र्स्ट इंडिया के स्टिग के बाद भी नहीं सुधरे हालात!!!
स्टिग के बावजूद, संबन्धित शराब ठेकदार और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नहीं हुई कोई कार्यवाही!!!

पता:-S1, झारखंड अपार्टमेंट, सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के वृत्त अनामन एवं अनामन IT Act 2000 के वृत्त अनामन
www.jawabdosarkar.com

AFTER 8PM
जयपुर में NO नियम !

केस नं. 1

गांधी पथ वैशाली
नगर में लाइसेंसी
पंकज सैनी की
दुकान

वृत:जयपुर पश्चिम

AFTER 8PM
जयपुर में NO नियम !

केस नं. 1

155 रुपए की
बीयर के लिए
वसूले 200 रुपए

AFTER 8PM
जयपुर में NO नियम !

केस नं. 2

करणी पैलेस
200 फीट रोड पर
साहिल अरोड़ा की
दुकान

वृत:जयपुर पश्चिम

AFTER 8PM
जयपुर में NO नियम !

केस नं. 2

105 रुपए के
पक्के के लिए
वसूले 160 रुपए

AFTER 8PM
जयपुर में NO नियम !

केस नं. 3

आम्रपाली मार्ग के
सामने लाइसेंसी
लोकेश चोपड़ा की
दुकान

वृत:जयपुर पश्चिम

AFTER 8PM
जयपुर में NO नियम !

केस नं. 3

105 रुपए के
पक्के के लिए वसूले
120 रुपए

AFTER 8PM
जयपुर में NO नियम !

केस नं. 4

वैशाली नगर में
लाइसेंसी सोमेश्वर
सिंह की दुकान

वृत:जयपुर पश्चिम

AFTER 8PM
जयपुर में NO नियम !

केस नं. 4

145 की
बीयर 170 रुपए
में बेची





जिम्मेदार अधिकारी	
पदनाम	नाम
जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर	मातादीन मीणा
सहायक आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर	गौरव मणि जौहरी
आबकारी निरीक्षक, वृत जयपुर शहर पूर्व	कर्णिका मेहता
आबकारी निरीक्षक, वृत जयपुर शहर दक्षिण	भानुप्रिया शर्मा
आबकारी निरीक्षक, वृत जयपुर शहर उत्तर	हरीश शर्मा
आबकारी निरीक्षक, वृत जयपुर शहर दक्षिण-पूर्व	अब्दुल जावेद
आबकारी निरीक्षक, वृत जयपुर शहर पश्चिम	अब्दुल जावेद
आबकारी निरीक्षक, वृत जयपुर शहर झोटवाड़ा	जयकृत सिंह
आबकारी निरीक्षक, वृत जयपुर शहर सांगानेर	जयकृत सिंह

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर क्या वजह है कि फ्रस्ट इंडिया न्यूज के दो स्टिंग ऑपरेशनों के बावजूद रात 8 बजे बाद ओवररेट पर शराब बेचने वाले ठेकेदारों को आबकारी विभाग बचा रहा है?
2. यदि आबकारी विभाग के इस दावे पर भरोसा करे कि आबकारी विभाग की रेड गश्त जारी है, तो उसके बावजूद कैसे खुलेआम रात 8 बजे बाद ओवररेट पर शराब बेची जा रही है?



3. आबकारी और पुलिस विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शराब विक्रेता को अपनी दुकान पर सीसीटीवी केमरे लगाने अनिवार्य है, जयपुर शहर की 404 दुकानों में से

कितनी दुकानों पर सीसीटीवी केमरे लगे हुए हैं? आखिर क्यों आबकारी और पुलिस विभाग इन सीसीटीवी केमरो की मदद से रात 8 बजे बाद ओवररेट पर शराब बेचने वाले शराब लाईसेंसियों की धरपकड़ नहीं करती?

4. आखिर क्यों आबकारी विभाग राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की गांधीवादी छवि को धूमिल कर रहा है? जबकि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर ही राज्य में शराब बेचने का समय 11 बजे से घटा कर रात 8 बजे किया गया था?
5. चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग द्वारा कितने शराब लाईसेंसियों के विरुद्ध रात 8 बजे बाद शराब बेचने के विरुद्ध अभियोग दर्ज किए गए?
6. फ्रस्ट इंडिया न्यूज द्वारा जिन शराब लाईसेंसियों का स्टिंग किया गया है उनके विरुद्ध रात 8 बजे बाद शराब बेचने के कितने अभियोग दर्ज हैं?
7. अब तक कितने आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध शराब लाईसेंसियों से मिलीभगत के चलते, विभागीय कार्यवाही की गयी?
8. आबकारी अधिकारियों और शराब ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते तीन साल पहले वित्त विभाग को पूरे राज्य में डिकोय ऑपरेशन चलाने की कार्यवाही करने को मजबूर होना पड़ा था, क्या वित्त विभाग को डिकोय ऑपरेशन चलाने की कार्यवाही करने पर पुनः विवश होना पड़ेगा?